


बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय, बेली रोड, पटना
निविदा सूचना संख्या -07/2012-13

1. विभाग का नाम :- पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।
2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- पुलिस अधीक्षक(वितन्तु) बिहार, पटना।
बिहार पुलिस रेडियो, मुख्यालय बेली रोड, पटना।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय:- दिनांक- 11/03/2013 के 1500 बजे तक।
4. निविदा प्राप्ति का स्थान:- विज्ञापनदाता का कार्यालय। बिहार पुलिस रेडियो बेली रोड
टी0एक्स0 भवन, राजवंशीनगर, पटना-23
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 11.03.2013 के 1600 बजे।
6. अनुमानित राशि :- रु0 एक लाख से उपर ।
7. मद का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय/आवास पटना में 60 फीट लैटिस
मास्ट-01(एक)अद्द एवम् 30 फीट लैटिस मास्ट-02(दो) अद्द
स्थापित करना।

निविदा के नियम एवं शर्त

1. इस मद में निविदाएँ सिर्फ बिहार स्थित इकाइयों आपूर्तिकर्ता/विक्रेता या राज्य के बाहर उत्पादनरत इकाइयों के स्थानीय कारपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/एजेंट/प्राधिकृत डीलर/विक्रेता/आपूर्तिकर्ता के द्वारा ही दी जायेगी लेकिन सफल निविदादाताओं को कयादेश देने के पहले बिहार वाणिज्य कर में निबंधन का प्रमाण पत्र देना होगा।
2. निविदाये दो बोली प्रणाली के नियमों तहत फर्मों को दो भाग में समर्पित करना होगा।
(a) **तकनीकी बोली** :- इसमें फर्म बिहार बिक्रीकर, निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। निविदा के इस भाग में फर्म द्वारा प्रस्तावित मदों की तकनीकी विवरणी, वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रतिबंधों इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख करगें। मद के लिए दी जानेवाली गारण्टी का भी उल्लेख निश्चित रूप से होना चाहिए।
(b) **वित्तीय बोली** :- निविदा के इस भाग में तकनीकी बोली में शामिल की गई मद का इकाई वार मूल्य निम्नलिखित ढंग से अंकित होगा। (क) प्रस्तावित कार्य का मूल्य प्रति इकाई (ख)देयकर (ग) दर एवं वेट सहित नेट मूल्य अंकों एवं शब्दों में साफ-साफ अंकित करना होगा।
तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली अलग-अलग लिफाफों में सील बंद होना चाहिए एवं उनपर तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली अंकित होना चाहिए। दोनो लिफाफों को एक बड़े लिफाफा में डालकर एवं सील बंद कर उसे उपर्युक्त तिथि एवं समय तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया जायेगा ।
3. दरों में किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग अथवा संशोधन पाये जाने पर अथवा उपर्युक्त किसी भी वांछित सूचना एवं अभिलेखों को शर्तों के अनुसार वित्तीय बोली एवं तकनीकी बोली में उपलब्ध नहीं कराये जाने पर निविदा बिना विचार किये तत्क्षण रद्द कर दीये जायेगें। तकनीकी बोली में बैद्य पाये जानेवाले निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी और इस संबंध में विज्ञापनदाता का निर्णय ही सभी फर्मों के लिए बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।
4. निविदाकर्ताओं उपर्युक्त कार्य स्वयं करने होंगे इसके लिए अलग से कोई अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा। सामानों चढ़ाने-उतराने या साइट पर ले जाने का खर्च का वहन भी निविदाकर्ता को स्वयं करना होगा।
5. विपत्रों की भुगतान की कार्रवाई मद निरीक्षण समिति द्वारा स्वीकार करने के बाद ही प्रारम्भ की जायेगी। पुलिस अधीक्षक(वितन्तु), बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना बताये एक या एक से अधिक या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्णरूप से अस्वीकार कर दे। उपर्युक्त नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले निविदादाताओं का निविदा बिना विचार किये तत्क्षण रद्द कर दिया जायेगा।


पुलिस अधीक्षक(वितन्तु)
बिहार, पटना।